Date	Headline	Publication	Edition	Page	Source
Mar 15, 2024	पीएनबी ने रक्षक प्लस योजना लॉन्च की	Dainik Bhaskar	Mumbai	11	Bureau

पीएनबी ने रक्षक प्लस योजना लॉन्च की

भास्कर संवाददाता | मुंबई. पंजाब नेशनल बैंक ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 'पीएनबी रक्षक प्लस योजना' लॉन्च किया है। इस योजना में जिनकी पेंशन स्पर्श/सीपीपीसी के माध्यम से उनके पीएनबी खाते में जमा की जाती है, वे सभी रक्षा सेवा पेंशनभोगी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ के लिए पात्र हैं। योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर 50 लाख रुपए तथा व्यक्तिगत आकस्मिक स्थायी पूर्ण विकलांगता अथवा आंशिक विकलांगता पर 50 लाख तथा हवाई दुर्घटना बीमा मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।

NewsRoom

Date	Headline	Publication	Edition	Page	Source
Mar 15, 2024	पेंशनभोगियों के लिए PNB की नई योजना	Navbharat	Mumbai	3	Bureau

पेंशनभोगियों के लिए PNB की नई योजना

मुंबई. सशस्त्र बलों के लिए विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 'पीएनबी रक्षक प्लस योजना' की पेशकश की है. सभी रक्षा सेवा पेंशनभोगी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, जिनकी पेंशन स्पर्श/सीपीपीसी के माध्यम से उनके पीएनबी खाते में जमा की जाती है, पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ के लिए पात्र हैं. यह लाभ केंद्रीय और राज्य पुलिस के पेंशनभोगियों को भी मिलता है. योजना में खाताधारक को 50 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए की हवाई दुर्घटना बीमा सुविधा मिलेगी.इसके अतिरिक्त, यह योजना कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है.

Date	Headline	Publication	Edition	Page	Source
Mar 15, 2024	पीएनबी ने की रक्षक प्लस योजना की घोषणा	Nishpaksh Divya Sandesh	Lucknow	7	Bureau

पीएनबी ने की रक्षक प्लस योजना की घोषणा

एनडीएस संवाददाता

लखनऊ। सशस्त्र बलों के लिए विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करने के लिए, देश का अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पीएनबी, रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 'पीएनबी रक्षक प्लस योजना' की पेशकश कर रहा है। सभी रक्षा सेवा पेंशनभोगी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, जिनकी पेंशन स्पर्श/सीपीपीसी के माध्यम से उनके पीएनबी खाते में जमा की जाती है, पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ के लिए पात्र हैं। यह लाभ केंद्रीय और राज्य पुलिस के पेंशनभोगियों को भी मिलता है। योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) (मृत्यु कवर): रु . 50 लाख, व्यक्तिगत आकस्मिक स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी): रु . 50 लाख, व्यक्तिगत आकस्मिक स्थायी आंशिक विकलांगता (पीपीडी): 50 लाख रुपये तक , हवाई दुर्घटना बीमा (एआई) (मृत्यु कवर): रु . 1 करोड है। इसके अतिरिक्त, यह योजना कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है।

Date	Headline	Publication	Edition	Page	Source
Mar 15, 2024	रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पीएनबी की रक्षक प्लस योजना की पेशकश	Vishwavarta	Lucknow	4	Bureau

रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पीएनबी की रक्षक प्लस योजना की पेशकश

लखनऊ। सशस्त्र बलों के लिए विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करने के लिए, देश का अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पीएनबी, रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 'पीएनबी रक्षक प्लस योजना' की पेशकश कर रहा है। सभी रक्षा सेवा पेंशनभोगी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, जिनकी पेंशन स्पर्श/सीपीपीसी के माध्यम से उनके पीएनबी खाते में जमा की जाती है, पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लाभ के लिए पात्र हैं। यह लाभ केंद्रीय और राज्य पुलिस के पेंशनभोगियों को भी मिलता है। योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं में
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) (मृत्यु कवर) : रु . 50 लाख,
व्यक्तिगत आकस्मिक स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी) : रु . 50 लाख,
व्यक्तिगत आकस्मिक स्थायी आंशिक विकलांगता (पीपीडी) : 50 लाख रुपये तक ,
हवाई दुर्घटना बीमा (एआई) (मृत्यु कवर) : रु . 1 करोड है।
इसके अतिरिक्त, यह योजना कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है।